लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बरः–232/2018 प्रार्थना पत्र
ज़ारी पिता रूपा मुतबन्ना गणेश जाट, उम्र बालिग निवासी दांताजति तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान)

––––प्रार्थी

बनाम

ीमति अनोपी पत्नि अम्बालाल जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी भंवरलाल पिता भागू जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी ब्रदी पिता भागू जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री शंकर पिता काशी जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री बरदा पिता मेघा जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री रामचन्द्र पिता भागीरथ जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री रामचन्द पिता धुकल जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्रीमति सुन्दर बाई पत्नि नानू जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री श्रीचन्द पिता भुवाना जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री बालू पिता भुवाना जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–06.05.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू– राजस्व धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सालरिया, पटवार ल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 93 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 4 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, 94/1 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी के ाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.8.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 स्वयं उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 के विरूद्व वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.4.2019 को प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 12.4.2019 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, व 11 के विरूद्व कोई दादरसी नहीं चाहने के कारण दादरसी समाप्त की गयी। तथा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 12.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
ने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
कार किया जाकर ग्राम सालरिया, पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित
ाजी नम्बर 93 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 94 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, 94/1 रकबा 3 बिस्वा
ा 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश
ता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, आटूण को 800/–रूपये (आठ सौ
कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें।
फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी
ने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner